छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन

''विद्या निलयम''
ब्लॉक 7B, भू-तल, ऑफिस कैम्पस, सेक्टर 24
नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
पिनकोड : 492018
दूरभाष : 0771-2277580
ई-मेल : cgpurc18@gmail.com
वेबसाइट : www.purc.cgstate.gov.in

क्रमांक: 10113 / विविध / 171 / 2019 / 20782 नवा रायपुर, दिनांक 20 / 09 / 2024

प्रति,

कुलसचिव
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
ग्राम – धनेली (माना)
जिला – रायपुर (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय (श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, जिला–रायपुर) में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, जिला–रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरणः–

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदित शुल्क
1	B.COM	30000
2	B.COM COMPUTER APPLICATION	30000
3	B.COM HONORS	32400
4	B.COM LLB	48000
5	B.ED SPECIAL EDUCATION	86400
6	B.LIB	24000
7	B.PHARMA	120000
8	B.SC cbz	33600

क्रमशः02

9	B.SC BIOTECH	42000
10	BSC FASHION DESIGN	36000
11	B.TECH	58800
12	B.TECH MINING	62400
13	BA	16800
14	BA FASHION DESIGN	24000
15	BA HONORS	21000
16	BA JMC	24000
17	BA LLB	48000
18	BA YOGA	22200
19	BBA	44400
20	BBA + MBA	65000
21	BCA	32400
22	BHMCT	32500
23	BJ	24000
24	BPES	39600
25	BSC PCM	33600
26	BSC FASHION DESIGN	36000
27	BSC HONORS	42000
28	BSC MICRO	34800
29	BSC MLT	50400
30	BSC NUTRICIAN	42000
31	BSC OPTOMETRY	57000
32	BSC YOGA	32400
33	BSW	20400
34	D.PHARMA	120000

क्रमशः03

35	DCA	15000
36	DID	31200
37	DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT	35000
38	E-MBA	72000
39	LLB	50400
40	LLM	54000
41	M.A.	22800
42	M.COM	32000
43	M.LIB	25200
44	M.PHARMA	130000
45	M.SC	44400
46	M.SC. CS	35500
47	M.SC MICRO/BIOTECH/NUTRI/ENVIRO	45000
48	M.SC OPTOMETRY	60000
49	M.SC YOGA	37200
50	M.TECH	68400
51	M.TECH MINING	68400
52	M.TECH T & C	68400
53	MA FD	24500
54	MA YOGA	27600
55	MBA	90000
56	MCA	51600
57	MJ	27000
58	MPES	48000
59	MSC FD	34800

क्रमशः:04

60	MSC ID	34800
61	MSW	24000
62	PG DIPLOMA FASHION DESIGN	31200
63	PG DIPLOMA IN YOGA	26400
64	PGDCA	20400
65	PGDUM	38400
66	PHD	120000
67	POLY	46800
68	SPECIAL D.EL.ED	40800
69	B.P.ED	65000
70	B.ED	32920

1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास मे करना होगा।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2024–25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जेस, छात्रावास/मेस चार्जेस आदि वैयक्ति व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागते कम हुई तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

क्रमशः05

6. आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदित शुल्क से यदि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक शुल्क विद्यार्थियों से लिया गया है, तो इस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वापस करना होगा अथवा इसका समायोजन आगामी सत्र में करना होगा तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर देनी होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024–25 में शुल्क निर्धारण आयोग कार्यालय से नही कराया गया है तो वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की जानकारी आयोग कार्यालय को तुरंत प्रेषित किया जायें। यह शुल्क किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ष में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नही होना चाहिए।
8. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षो में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रेल–मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रेल–मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नही करेंगें, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
9. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नही करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नही होगी।

(के.के. चंद्राकर)
सचिव
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग(छ.ग.)